

175/2023


17/2/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार विप्रार्थी संख्या 3 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहते हैं। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थनीगण/वादीनीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्विष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थनीगण के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बड़ेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थनीगण के पक्ष में बनते हैं। प्रकरण में दोनों पक्षों को पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

लिहाजा प्रार्थनीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.6.2023 से दोनों पक्षों को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


राजस्थान न्यायालय
(S.O.) जालोर